न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील सं0 48/2019

1. केशरी पत्नि कैलाश जाति मीना निवासी रूडमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा।

.. अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा। ...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार दौसा दिनांक 29.10.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम केशरी मु0नं0 170/2018 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956।

उपस्थित : 1. श्री प्रदीप कुमार विजयवर्गीय, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 03.11.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा जिला दौसा ने दिनांक 29.10.2018 को ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा के खसरा नं0 68 रकबा 0.10 है0 एवं खसरा नं0 88 रकबा 0.10 है0 कुल रकबा 0.20 किस्म चरागाह भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत तामील करवाये बिना व सुनवाई एवं सबूत का अवसर दिये बिना पीठ पीछे से निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा पूर्व बेदखली का कोई रिकार्ड प्रस्तुत नही किया गया। मात्र पटवारी हल्का की इकतरफा रिपोर्ट के आधार पर बिना मौके की जॉच किये पटवारी हल्का की रिपोर्ट को ही सही मानकर निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का से जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि से अपना कब्जा हटा लिये जाने एवं भविष्य मे अतिक्रमण नही करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुई। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आते है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूॅठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुई। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे खसरा नं0 68 अंकित किया गया है जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट में खसरा नं0 86 चरागाह भूमि पर बाजरा की काश्तकर अतिक्मण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्मण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्मण किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपीलांट की ओर से प्रश्नगत चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए अपीलांट के शपथ–पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिकमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2018 में से सिविल कारावास की सजा अतिक्मण हटा लेने की शर्त पर निरस्त कर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास की सजा सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ–पत्र में अंकित तथ्यों एवं खसरा नंबरान का का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र की छाया प्रति व निर्णय प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 03 नवम्बर 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा